(ख) धन की कमी के कारण कम्पनी अपने कर्मचारियों को दिसम्बर, 1975 और जनवरी, 1976 का वेतन न दे सकी। 6/7-2-1976 की मध्यरात्रि से कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। 25-2-1976 को केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी को 3,61,366.85 रुपये की आर्थिक सहायता दी है और 27-2-1976 को कम्पनी ने कर्मचारियों से काम पर आने और अपना भुगतान लेने का नोटिस जारी किया है। कम्पनी के निदेशक मंडल में सरकारी प्रतिनिधि से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है और रिपोर्ट मिलने पर आगे कार्रवाई की जायेगी।

नारायणपुर तथा थाना बीहपुर के बीच भू-कटाव से रेल लाइन को खतरा

215. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के भू-कटाव के कारण पूर्वोत्तर रेलवे के नारायणपुर तथा थाना बीहपुर के बीच रेल लाइन को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या इस संबंध में स्थानीय जनता तथा जन प्रतिनिधियों ने इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) रेल यातायात अस्तव्यस्त न हो, इसलिए एक सहायक लाइन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

बरौनी-कटिहार रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

216. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी जंक्शन और कटिहार के बीच मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में उक्त परिवर्तन कार्य पूरा कर लेने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख). बरौनी-कटिहार मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किये गये हैं। इस परियोजना को शुरू करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जायेगा जब बाराबंकी-समस्तीपुर खण्ड के आमान परिवर्तन के काम में जो कि एक स्वीकृत योजना है, यथोचित प्रगति हो जायेगी।

जबलपुर तथा रायपुर सम्भागों में हरिजनों तथा आदिवासियों को उर्वरक विक्रय एजेंसियों का आवंटन

217. **श्री हुकम चन्द कछवाय:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जबलपुर तथा रायपुर सम्भाग में कितने हरिजन तथा आदिवासियों को उर्वरक बेचने की एजेंसियां दी गई हैं और ये एजेंसियां किन-तारीखों से आवंटित की गयीं;

(ख) क्या हरिजनों और आदिवासियों की आवंटित की गई एजेंसियां इस श्रेणी में